प्रभात खबर
www.prabhatkhabar.com

भ्रष्ट लोकसेवकों की अब खैर नहीं

पटना : अब सामान्य प्रशासन विभाग व उससे संबद्ध कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संपत्ति और उनके द्वारा समर्पित की जानेवाली विवरणियों पर नजर रखने का निर्णय लिया है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एंटी करप्शन सेल गठित किया है. सेल न केवल सामान्य प्रशासन विभाग, बल्कि इससे संबद्ध सभी सरकारी कार्यालयों में भी भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेगा.

विभाग के संयु सचिव आनंद बिहारी प्रसाद को मुख्य निगरानी पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है. इसका उद्देश्य कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है.

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार ऐसे कार्य जिनमें भ्रष्टाचार या कदाचार की मौजूदगी का आभास होता है, उस पर सतत नजर रखी जायेगी.

निष्ठा पर भी नजर

सेल ऐसे कार्यो की समीक्षा करेगा, जो भ्रष्टाचार या कदाचार के लिए आधार प्रदान करता है. खासकर, संदिग्ध निष्ठावाले अधिकारियों के कार्यकलापों पर भी नजर रखेगा. हाल ही में मंत्रिमंडल से पारित आचार नियमावली के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की दिशा में भी सेल काम करेगा.

इसमें संपत्ति एवं अर्जन विवरणियां, उपहार, नियोजित प्रतिष्ठानों में नियोजित अथवा निजी व्यवसाय करनेवाले संबंधीगण तथा बेनामी लेन-देने पर भी नजर रखने का काम होगा.

इतना ही नहीं किसी कर्मी के खिलाफ अगर निगरानी विभाग से कोई शिकायत या जांच प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो उस पर सेल कार्रवाई करेगा. इसी तरह विभागीय जांच आयु या विभागीय जांच करनेवाले अन्य पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन मिलने पर सरकार का अंतिम आदेश प्राप्त कर उसके अनुरूप कार्रवाई करेगा.